न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– साधुराम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
157/17	20.06.2017	31.01.2019

1 जसवन्त पुत्र लक्ष्मण
2 शान्तिदेवी पत्नी लक्ष्मण
3 कान्तादेवी पत्नी जसराज कुमार
4 धीरेन्द्र कुमार
5 विकाश कुमार पुत्रान जसराज कुमार नाबालिग जरिये सरप्रस्त माता कान्ता
6 गिर्राज पुत्र शिवजी जातियान जाट निवासी नंगली औझा तहसील मुण्डाववर जिला अलवर राज0।

वादीगण

बनाम

1 मातादीन
2 जीतराम पुत्रान छीतर
3 बलबीर पुत्र रामकिशोर पौत्र छीतर
4 सुरजी पत्नी रामकिशोर पुत्रवधु छीतर
5 बिमला पत्नी जलेसिंह प्रपोत्र वधु छीतर
6 कमल पुत्र जलेसिंह प्रपोत्र छीतर
7 रतिराम पुत्र चिंरजी पौत्र छीतर
8 भगवानी पत्नी चिंरजी पुत्रवधु छीतर
9 पूजा
10 प्रिया पुत्रीयान होशियार प्रपोत्री छीतर
11 दीपक पुत्र होशियार प्रपोत्र छीतर
12 राजेशदेवी पत्नी होशियार प्रपोत्रवधु छीतर
13 राजपाल पुत्र हरिसिंह पौत्र छीतर
14 सुमन
15 मनीषा उर्फ गुड्डी पुत्रीयान हरिसिंह पौत्रीयान छीतर
16 धूंधी पत्नी हरिसिंह पुत्रवधु छीतर
17 धर्मपाल पुत्र हरिसिंह पौत्र छीतर जातियान जाट समस्त निवासीयान समस्त नंगली औझा तहसील मुण्डावर
18 धनकोर पुत्री छीतर पत्नी नत्थुराम जाति जाट निवासी सुठानी तहसील बावल जिला रेवाडी हरि0।
19 कृष्णा पुत्री चिंरजी पत्नी राजाराम जाति जाट निवासी हरसोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर।
20 सन्तोष पुत्री हरिसिंह पत्नी चरणसिंह जाति जाट निवासी हाल जाटका तहसील कोटकासिम अलवर।
21 लीलाराम
22 शिवराम पुत्रान बुधराम जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

23 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर।
24 उप पंजीयक, मुण्डावर जिला अलवर।

प्रतिवादीगण

दावा –ईश्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज
मय हु0 ई0 दवामी

उपस्थिति–1 श्री अशोक चौधरी प्रथम वकील– वादीगण

निर्णय

दिनांक 31.01.2019

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये वादीगण के वाद का सारतः रहा की हाल आराजी खसरा नंबर 55/2 रकबा 0.36 हैक0 साविक खसरा नंबर 72 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा एवं, 314/2 रकबा 0.17 हैक0 साविक खसरा नंबर 334 रकबा 17 बिस्वा से पैमूद होकर विवादित आराजी कहलायेगी। जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज है जो मिनवादीगण के पूर्वजों के रिकार्डेड बटवारे मे आयी हुई है जिस पर मिनवादीगण वक्त बहामी व रिकार्डेड बटवारा से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 व उनके पूर्वज एवं प्रतिवादी संख्या 21 व 22 गैरवास्ता व गैरकाबिज रहे है जिनका विवादित आराजी से किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नही है, ना ही कभी रहा है लेकिन राजस्व कर्मचारीयों द्वारा खिलाफमौका, खिलाफकानून राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 के पूर्वज छीतर व प्रतिवादीगण संख्या 21 व 22 के नाम का अंकन सिकमी दर्ज किया हुआ है। जिसे मिनवादीगण हजफ कराने के अधिकारी है जिस बाबत वादीगण को रिकार्डेड बटवारा दिनांक 18.09.2015 को कराया तब उक्त गलत इंद्रात की जानकारी हुई। जिसे दुरूस्त कराने बाबत कहा तो आजकल आजकल करते रहे ओर दिनांक 07.06.2017 को दुरूस्त कराने से साफ मना कर दिया। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है। उक्त गलत इंद्राज के कायम रहने से मिनवादीगण के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है तथा अपनी खातेदारी की आराजी का समुचित तरीके से उपयोग, उपभोग से वंचित हो रहे है तथा प्रतिवादीगण सिकमी काश्तकार दर्ज होने का बेजा फायदा उठाकर मिनवादीगण को आराजी से बेदखल करने की एलानिया धमकी दी है। यदि वे अपने इन बेजा नापाक इरादो मे कामयाब हो गये तो मिनवादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी, चूंकि मिनवादीगण के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। अपने अधिकारो की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है का निवेदन करते हुए वाद वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इस अमर की पारित की जावे की उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रतिवादी सं0 1

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

लगायत 20 के पूर्वज छीतर पुत्र मोहकम व प्रतिवादी संख्या 21 व 22 के नाम का अंकन सिकमी को हजफ किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे एवं प्रतिवादीगण को डिक्री हु0 ई0 दवामी से पाबन्द फरमाया जावे की वो उपरोक्त वर्णित आराजी को कही रहन, बय इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही मिनवादीगण को आराजी से बेदखल कर कब्जा करे, ना ही मिनवादीगण के काश्त कार्य मे मजाहमत पैदा करे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी सं0 1 लगायत 22 ने जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना इकबाल जवाब दावा पेश किया। मुताबिक इकबाल जवाब वादीगण के वाद के जिम्मनों को स्वीकारते हुए वादीगण का वाद अनुसार डिक्री फरमा दिया जावे हमे कोई एतराज नही है का पेश होकर शामिल पत्रावली है। पैरोकार सरकार द्वारा बार–बार चाहे जाने जवाब सरकार पेश करने अवसर उपरान्त जवाब सरकार पेश करने का अवसर समाप्त किया गया।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद मे मौखिक साक्ष्यस्वरूप शपथपत्र जसवन्त पी0 डब्ल्यू0–1, किशोरीलाल पी0 डब्ल्यू0–2, जयसिंह पी0 डब्ल्यू0–3 एवं दस्तावेजी साक्ष्यस्वरूप नकल हाल जमाबन्दी 2072–75 किता 2 प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संवत् 2017 किता 2 प्रदर्श–3, नकल खसरा गिरदावरी संवत्2013–16 प्रदर्श–4,5 व नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2036–39 प्रदर्श–6, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2040 प्रदर्श–7 नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2048 प्रदर्श–8, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2047 प्रदर्श–9 एवं नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2023 प्रदर्श–10 एवं नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2024–31 तक एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2027 पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी ने अपनी ओर लिखित बहस पेश की, मुताबिक प्रस्तुत लिखित बहस के वादीगण के वादपत्र के जिम्मनों का दोहराते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य एवं रिकार्डेड साक्ष्यस्वरूप प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–10 एवं अन्य खसरा गिरदावरी एवं जमाबन्दी संवत् 2027 की प्रस्तुत नकलात के बाबत का अभिकथन करते हुए वादीगण का वाद प्रायमा फैसाई आयद व साबित है तथा काबिल डिक्री है तथा वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन मे मौखिक साक्ष्यस्वरूप गवाहान पेश किये है जिन गवाहान ने भी विवादित आराजी पर कब्जा वादी गण व उनके पूर्वज का होना दर्ज किया है। जिनके आधार पर साफ है कि आराजी पर वादीगण व वादी के पूर्वज रिकार्डेड बटवारा के समय से ताहाल काबिज काश्त है का अभिकथन करते हुए विवादित आराजी के बाबत वाद वादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड पर से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 20 के पूर्वज छीतर पुत्र मोहकम व प्रतिवादी संख्या 21 व 22 का नाम सिकमी काश्तकार के अंकन को हजफ किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

वादीगण को हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का अभिकथन रहा।

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का मनन किया गया एवं वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन मे मौखिक साक्ष्यस्वरूप शपथपत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्यस्वरूप प्रदर्श—1 लगायत 10 एवं अन्य नकल खसरा गिरदावरी व जमाबन्दीयात तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबाल जवाबदावा के ध्यानपूर्वक अवलोकन उपरान्त उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः यह न्यायालय वादीगण द्वारा वादपत्र को रिकार्डेड एवं सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित कर दिये जाने पर स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे हाल आराजी खसरा नंबर 55/2 रकबा 0.36 हैक्0, 314/2 रकबा 0.17 हैक्0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत का वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 के पूर्वज छीतर पुत्र मोहकम एवं प्रतिवादी संख्या 21 व 22 के नाम अंकन सिकमी को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादीगण को हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को डिक्री हु0 ई0 दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कुल कार्य काश्तकारी मे किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे, पाबन्द रहे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

31.1.19

(साधूराम जाट)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर

21-10-19 आज [illegible] 152 [illegible] डिग्री [illegible] होने पर आराजी ख०नं० 314/1 रकबा 0.04 हैक्ट० वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज०) अन्य आराजी [illegible] जावे। शेष निर्णय [illegible] यथावत रहेगा।

21.10.19

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर
जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी:–साधुराम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
157/17	20.06.2017	31.01.2019

1 जसवन्त पुत्र लक्ष्मण
2 शान्तिदेवी पत्नी लक्ष्मण
3 कान्तादेवी पत्नी जसराज कुमार
4 धीरेन्द्र कुमार
5 विकाश कुमार पुत्रान जसराज कुमार नाबालिग जरिये सरप्रस्त माता कान्ता
6 गिर्राज पुत्र शिवजी जातियान जाट निवासी नंगली औझा तहसील मुण्डाववर जिला अलवर राज0।

वादीगण

बनाम

1 मातादीन
2 जीतराम पुत्रान छीतर
3 बलबीर पुत्र रामकिशोर पौत्र छीतर
4 सुरजी पत्नी रामकिशोर पुत्रवधु छीतर
5 बिमला पत्नी जलेसिंह प्रपोत्र वधु छीतर
6 कमल पुत्र जलेसिंह प्रपोत्र छीतर
7 रतिराम पुत्र चिंरजी पौत्र छीतर
8 भगवानी पत्नी चिंरजी पुत्रवधु छीतर
9 पूजा
10 प्रिया पुत्रीयान होशियार प्रपोत्री छीतर
11 दीपक पुत्र होशियार प्रपोत्र छीतर
12 राजेशदेवी पत्नी होशियार प्रपोत्रवधु छीतर
13 राजपाल पुत्र हरिसिंह पौत्र छीतर
14 सुमन
15 मनीषा उर्फ गुड्डी पुत्रीयान हरिसिंह पौत्रीयान छीतर
16 धूंधी पत्नी हरिसिंह पुत्रवधु छीतर
17 धर्मपाल पुत्र हरिसिंह पौत्र छीतर जातियान जाट समस्त निवासीयान समस्त नंगली औझा तहसील मुण्डावर
18 धनकोर पुत्री छीतर पत्नी नत्थुराम जाति जाट निवासी सुठानी तहसील बावल जिला रेवाडी हरि0।
19 कृष्णा पुत्री चिंरजी पत्नी राजाराम जाति जाट निवासी हरसोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर।
20 सन्तोष पुत्री हरिसिंह पत्नी चरणसिंह जाति जाट निवासी हाल जाटका तहसील कोटकासिम अलवर।
21 लीलाराम

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

22 शिवराम पुत्रान बुधराम जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर।
23 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर।
24 उप पंजीयक, मुण्डावर जिला अलवर।

प्रतिवादीगण

दावा –ईशतकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज
मय हु0 ई0 दवामी

वादीगण की ओर से **श्री अशोक चौधरी प्रथम एडवोकेट** की उपस्थिति मे इस वाद में आज तारीख **31.01.2019** को **साधुराम जाट उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर** के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

हाल आराजी खसरा नंबर 55/2 रकबा 0.36 हैक्0, 314/2 रकबा 0.17 हैक्0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत का वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 के पूर्वज छीतर पुत्र मोहकम एवं प्रतिवादी संख्या 21 व 22 के नाम अंकन सिकमी को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादीगण को हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को डिक्री हु0 ई0 दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कुल कार्य काश्तकारी मे किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे, पाबन्द रहे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.01.2019 मे मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(साधुराम जाट) 31/1/19
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,मुण्डावर

21-10-19 आज प्रार्थना पत्र धारा 152 जा०दी० पेश होकर स्वीकार होने पर आराजी खसरा नं० 314/1 रकबा 0.04 हैक्टेयर वाके ग्राम नांगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज०) अन्य आराजी खसरा नम्बरान के साथ शामिल पढ़ा जावे। शेष निर्णय व पर्चा डिक्री पूर्ववत यथावत रहेंगे। 21.10.19

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner